Speed Post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. 33/Press clipping/1/2017/Raipur/RU-III

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्केट ,नई दिल्ली -110003
6th floor, 'B' Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
दिनांक /Dated: 18.05.2017

To,

1. Shri Vivek Dhand,
   Chief Secretary,
   CM Secretariat,
   D.K.S. Bhawan, mantralya,
   Raipur, Chhattisgarh
2. Shri A N. Upadhyaya,
   Director General of Police,
   Police Headquarters,
   City-Raipur,
3. Mrs. Alarmelmangai D,
   Collector & DM,
   District- Raigarh,
   (Chhattisgarh),
4. Mr. B.N. Meena,
   Superintendent of Police,
   District-Raigarh,
   (Chhattisgarh),
5. Mr. B. J. Malya,
   Divisional Railway
   manager, SECR,
   Bilaspur, (Chhattisgarh),

Sub: Press report dated 18.03.2017 in Patrika News Network captioned "300 acr land scam and sudden death of petitioner" regarding.

Sir,

I am directed to enclose a copy of Proceedings of the Sitting dated 08.05.2017 taken by Hon'ble Chairperson, NCST, for necessary action and to send the action taken report to the Commission at an early date.

Yours faithfully,

(S.P. Meena)
Assistant Director

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं0 33/Press Clipping/1/2017/Raipur/RU-III

''300 एकड़ कुनकुनी जमीन घोटाले के याचिकाकर्ता श्री जयलाल राठिया की अचानक मौत'' के संबंध में आयोग द्वारा जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ तथा मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के साथ दिनांक 08.05.2017 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथिः 08.05.2017

बैठक में उपस्थित–परिशिष्ट–क

दिनांक 18.03.2017 को दैनिक समाचार पत्र ''पत्रिका'' में उक्त विषय में समाचार प्रकाशित हुआ था। कई अन्य समाचार पत्रों में भी श्री जयलाल राठिया की मृत्यु को संदिग्ध बताते हुए ग्राम कुनकुनी में रेलवे साइडिंग तथा कोल वाशरी बनाने में व रायगढ़ जिले के विभिन्न स्थानों में अनुसूचित जनजातियों की भूमि के अवैध हस्तांरण तथा क्रय–विक्रय में धांधली से संबंधित समाचार प्रकाशित हुए। इस पृष्ठभूमि में आयोग द्वारा जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ एवं मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के साथ बैठक करने का निर्णय लिया गया।

क. अनुसूचित जनजातियों की भूमि के कथित रूप से अवैध हस्तांतरण से संबंधित मामले पर जिला कलेक्टर, रायगढ़ से चर्चा–

1. बैठक के प्रारंभ में आयोग के माननीय अध्यक्ष ने इस बात पर गंभीर चिंता जाहिर की कि रायगढ़ जिले में कुनकुनी, छोटे डूमरपाली एवं बड़े डूमरपाली सहित अनेक ग्रामों में अनुसूचित जनजातियों की भूमि के अवैध हस्तांतरण की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अनुसूचित जनजातियों की भूमि गैर–अनुसूचित

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जनजातियों के व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जाना बहुत गंभीर मामला है विशेषकर तब, जब जिले के कुछ भाग एवं राज्य का बड़ा हिस्सा अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजातियों की भूमि, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः गैर–अनुसूचित जनजातियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है तथा जिला कलेक्टर ही इस संबंध में अनुमति दे सकते हैं वह भी विशेष परिस्थिति में। उन्होंने जिला कलेक्टर, रायगढ़ से जिले के कुनकुनी व छोटे डुमरपाली बड़े डुमरपाली ग्राम में अनुसूचित जनजातियों की भूमि के हस्तांतरण से संबंधित उन्हें प्राप्त विभिन्न शिकायतों एवं इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी चाही।

2. जिला कलेक्टर, रायगढ़ ने अवगत कराया कि ग्राम–कुनकुनी, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के आदिवासियों की लगभग 300 एकड़ भूमि सप्तऋषि इन्टरप्राईजेज कम्पनी द्वारा क्रय किये जाने का मामला प्रकाश में आने के फलस्वरूप मामले की जांच हेतु तत्काल कार्यालयीन आदेश क्र.5647/शिकायत/2015 दिनांक 04.07.2015 के द्वारा जांच समिति गठित कर 7 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु जांच समिति को निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश के परिपेक्ष्य में जांच समिति द्वारा ग्राम–कुनकुनी में जाकर ग्रामवासियों की उपस्थिति में संबंधित कृषकों से पूछताछ एवं संबंधित अभिलेखों की जांच कर बिन्दुवार जांच प्रतिवेदन दिनांक 04.08.2015 को प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्य रूप से ग्राम–कुनकुनी, तहसील–खरसिया में आदिवासियों की भूमि सुनियोजित ढंग से ग्राम–कुनकुनी के बाहर के व्यक्तियों के नाम से बिना जाति प्रमाण पत्र के भूमि का क्रय–विक्रय कराने में तत्कालीन सरपंच एवं सचिव, ग्राम पंचायत कुनकुनी, संबंधित हल्का पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं उप पंजीयक, खरसिया तथा दस्तावेज लेखक के द्वारा विक्रय पंजीयन, नामांन्तरण, भू–अर्जन पत्रक नियम विरूद्ध तैयार कर कूटरचना किया जाना पाये जाने के फलस्वरूप संलिप्त

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi